... गया है।

2.5.18 पत्रावली आज कैंप कोर्ट नाटास में पेश हुई। आवेदक एवं अना. संख्या 1 तो 3 स्वयं उपस्थित। प्रकरण से संबंधित वाद का राजीनामा के अनुसार निस्तारण हो चुका है इसलिए T.I. का कोई औचित्य नहीं रह गया है प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] को जमा हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)